लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को वार्षिक किराया आधार पर दिये जाने हेतु

आवेदन फार्म का प्रारूप एवं नियम एवं शर्तेः–

फार्म का विक्रय मूल्य	रू0 5,000	(जी0एस0टी0 सहित)
टैण्डर प्रकाशन की तिथि	17.05.2024	प्रातः 10.00 बजे
टैण्डर फार्म डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	17.05.2024	प्रातः 10.30 बजे
प्रीबीड मिटिंग की तिथि	21.05.2024	अपरान्ह 1.00 बजे
ऑन–लाईन बिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	24.05.2024	प्रातः 10.00 बजे
ऑन–लाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	06.06.2024	अपरान्ह 2.00 बजे तक
ऑन–लाईन टैण्डर खोले जाने की तिथि	06.06.2024	अपरान्ह 3.00 बजे

लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को वार्षिक किराये आधार पर संचालनकर्ता को निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना है जिस हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं । निविदायें उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं । निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्नवत् है–

नियम एवं शर्तेः–

1– लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को 07 वर्षो हेतु **अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो** तक संचालन के लिये दिये जाने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं । 07 वर्ष उपरान्त सफल निविदादाता के अनुरोध पर उक्त स्थल को पुनः 03 वर्षो हेतु आवंटित किये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा विचार किया जायेगा । लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा । शासन द्वारा उक्त दुकानों एवं केफेटेरिया को किसी अन्य रूप अथवा माध्यम से संचालित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर सफल निविदाकार एवं संचालनकर्ता के मध्य संचालन हेतु सम्पादित अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा । दुकानों के क्षेत्रफल से सम्बन्धित सूचना निम्नवत है–

दुकान नं0 01	–	06.41 वर्ग मी0
दुकान नं0 02	–	11.40 वर्ग मी0
दुकान नं0 03	–	12.96 वर्ग मी0
दुकान नं0 04	–	12.96 वर्ग मी0
दुकान नं0 05	–	17.46 वर्ग मी0
दुकान नं0 06	–	22.70 वर्ग मी0
दुकान नं0 07	–	31.68 वर्ग मी0

2– निविदादाता को ई–टैण्डर फार्म डाउनलोड करने के पश्चात इसे आन–लाईन जमा करना होगा । ई–निविदा के माध्यम से टैण्डर आवेदन पर हुये व्यय निविदाकार स्वंय व्यय करेगा । निविदादाता निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व दुकानों एवं केफेटेरिया स्थल का निरीक्षण कर स्वंय के हित में निविदा भरें । निविदा प्रेषित किये जाने के उपरान्त निविदाकार की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर निगम द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

3– निविदा फार्म की धनराशि रू0 5,000 (जी0एस0टी0सहित) निगम के मुख्य कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में नकद अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा की जानी होगी। ऑन–लाईन भुगतान हेतु निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार हैः–

बैक का नाम	–	**केनरा बैंक**
शाखा	–	**नैनीताल**
खाता धारक का नाम	–	**कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।**
खाता संख्या	–	**87423070000122**
आई0एफ0एस0 कोड	–	**CNRB0005871**

निविदा फार्म क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र को निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा साथ ही निविदा प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निगम मुख्यालय ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में मूल में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

4– निविदादाता को प्रथम भाग/तकनीकी निविदा की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी । प्रथम भाग (तकनीकी निविदा) में मांगी गई औपचारिताऐं पूर्ण न होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में निविदाकार का द्वितीय भाग (वित्तीय निविदा)(Bill of quantity) नही खोला जायेगा । जिन निविदादाताओं की निविदा का प्रथम भाग/तकनीकी निविदा निविदा खोले जाने हेतु गठित समिति द्वारा सफल घोषित किया जायेगा, उन निविदादाताओं का द्वितीय भाग/वित्तीय निविदा (BOQ) ई–टैण्डरिंग हेतु गठित समिति द्वारा आन–लाईन खोली जायेंगी। उक्त तिथि को अवकाश होने पर अगली कार्य तिथि मानी जायेगी ।

5– लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को एक ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को वार्षिक किराये आधार पर दिये जाने हेतु स्थल का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 07.00 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निर्धारित किया जाता है । स्थल हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराये के ऊपर अधिकतम वार्षिक किराया दर प्रेषित किये जाने वाले तकनीकी रूप से सफल निविदादाता को आवंटित किया जायेगा ।

6– वार्षिक किराये की राशि पर 02 वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

7– लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों में पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियॉ जैसें– स्थानीय आर्ट एवं क्राफ्ट की दुकाने, हैण्डलूम की दुकाने, गिफ्ट सेन्टर, स्थानीय साहित्य की पुस्तके हेतु पुस्तकालय, बच्चों के खिलोनें की दुकानें, अन्य स्थानीय उत्पादों के विक्रय केन्द्र, स्थानीय पोशाको व आभूषणों में छायाचित्र इत्यादि अथवा इनसे मिलते –जुलते कार्यो की दुकाने संचालित की जा सकेंगी एवं केफेटेरिया को केफेटेरिया के रूप में ही संचालित किया जाना होगा ।

8– लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया के मूल संरचनात्मक ढ़ाचे को बिना कोई छेड़छाड–तोड़फोड़ किये आवंटित स्थल को विकसित किया जा सकता है, इस हेतु निगम से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी एवं उक्त निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन संचालनकर्ता द्वारा किया जायेगा । उल्लंघन करने की दशा में संचालनकर्ता पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।

9– संचालनकर्ता को आवंटन सम्बन्धी आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत अनुबन्ध सम्पादन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा ।

10– निविदादाताओं को निविदा में प्रतिभाग हेतु धरोहर धनराशि के रूप में रू0 3.00 लाख की एफ0डी0आर0/ ड्राफ्ट जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक /बना हो एवं नैनीताल में देय हो, की प्रति को निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं निविदा प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व मूल में निगम मुख्यालय ओक पार्क हाउस मल्लीताल नैनीताल में जमा किया जाना अनिवार्य होगा । सफल निविदादाता द्वारा उन्हें अग्रिम छः माह के अग्रिम किराये की धनराशि एवं जमानत धनराशि जमा किये जाने एवं अनुबन्ध सम्पादित किये जाने हेतु एक सप्ताह का अवसर प्रदान किया जायेगा । एक सप्ताह के अन्तर्गत किराये की अग्रिम धनराशि एवं जमानत धनराशि जमा न किये जाने अथवा अनुबन्ध निष्पादित न किये जाने की दशा में सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया जायेगा । जिसका भविष्य में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा । एच–1 निविदादाता द्वारा स्थल को किराये पर न लिये जाने की दशा में एच–2 निविदादाता को एच–1 निविदादाता द्वारा प्रेषित निविदा मूल्यों में स्थल को किराये पर दिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा ।

11– सफल निविदादाता द्वारा 01 वर्ष के किराये के बराबर धनराशि की एफडीआर जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम के नाम 07 वर्षो की अवधि हेतु बन्धक होगी, को अनुबन्ध सम्पादन से पूर्व निगम में जमानत धनराशि के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि जमा न किये जाने की दशा में आवंटन समाप्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– संचालनकर्ता को छः माह के किराये की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना होगा। एक माह तक किराया जमा न किये जाने की दशा में जमानत धनराशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को निरस्त किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को होगा ।

13– जमानत धनराशि जब्त किये जाने के उपरान्त यदि संचालनकर्ता की कोई देयता अवशेष रह जाती है अथवा आरोपित अर्थदण्ड का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है तो उस दशा में देयता की धनराशि की वसूली भू–राजस्व वसूली की भॉति की जायेगी ।

14– संचालनकर्ता को दुकानों एवं केफेटेरिया पर समुचित प्रकाश व्यवस्था एवं साफ–सफाई /रख–रखाव की व्यवस्था स्वंय के व्यय पर की जानी होगी । परिसर में किसी प्रकार की गन्दगी पाये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 को अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अधिकार होगा ।

15– संचालनकर्ता द्वारा स्वंय के व्यय पर विद्युत एवं जल संयोजन, जल–मल निस्तारण एवं साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी जिससे सम्बन्धित देयकों का भुगतान भी संचालनकर्ता द्वारा किया जायेगा।

16– संचालनकर्ता द्वारा लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया से सम्बन्धित सभी विभागों के टैक्स/शुल्क का भुगतान स्वंय के व्यय पर सम्बन्धित विभाग को किया जाना होगा ।

17– लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया के संचालन न होने की दशा में भी संचालनकर्ता को पूर्ण किराये की धनराशि निगम को भुगतान की जानी होगी ।

18– संचालनकर्ता द्वारा जिला प्रशासन / न्यायालयों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा ।

19– निगम एवं संचालनकर्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध के पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क इत्यादि का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा किया जाना होगा ।

20– किसी भी प्रकार की देवीय आपदा होने पर देवीय आपदा से हुई किसी भी प्रकार की क्षति हेतु निगम उत्तरदायी नहीं होगा । प्राकृतिक आपदाओं /दुर्घटना से संचालनकर्ता /दुकान/केफेटेरिया संचालक दुकानों/केफेटेरिया के भीतर रखी गयी सामग्री का बीमा स्वंय के स्तर एवं व्यय पर किया जाना होगा ।

21– निगम अथवा संचालनकर्ता 03 माह के लिखित नोटिस पर लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया के संचालन से सम्बन्धित अनुबन्ध को निरस्त कर सकेंगे ।

22– उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का न्यायिक वाद होने की दशा में वाद का न्यायिक क्षेत्र नैनीताल रहेगा ।

23– निविदादाता को निविदा के तकनीकी भाग के साथ पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति को ई–निविदा पोर्टल पर स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।

24– निविदादाता को उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी वाद में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो । निविदादाता को इससे सम्बन्धित शपथ पत्र निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा एवं निविदा प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व मूल प्रति को निगम मुख्यालय में अन्य निविदा प्रपत्रों के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

25– निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता **दिनांक 21.05.2024** को अपरान्ह 1.00 बजे निगम मुख्यालय, ओक पार्क हाउस मल्लीताल, नैनीताल में आयोजित प्रीबिड मिंटिंग में प्रतिभाग कर प्राप्त कर सकता है।

26– निविदादाता को निविदा के तकनीकी भाग के साथ अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र (06 माह हेतु जारी एवं निविदा खोले जाने हेतु नियत तिथि तक वैद्य), फर्म के मामले में सभी भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण–पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को कोई अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है, की प्रति को स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा । चरित्र प्रमाण–पत्र उस जिले के जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।

27– निविदादाता को निविदा के तकनीकी भाग के साथ हैसियत प्रमाण पत्र जो कि जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नामित प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो एवं निविदा में अंकित वार्षिक किराये की धनराशि रू0 07.00 लाख से कम न हो, की प्रति को स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा । फर्म /कम्पनी की दशा में विगत वर्ष की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति जिसका टर्न ओवर या नेटवर्थ वार्षिक किराये की धनराशि रू0 07.00 लाख से कम न हो, की प्रति को स्कैन कर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।

28– उपरोक्त नियम एवं शर्तो तथा निगम एवं संचालनकर्ता के मध्य सम्पादित अनुबन्ध में प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा समय –समय पर किये गये संशोधन आवंटी को मान्य होगे ।

29– संचालनकर्ता द्वारा निविदा की नियम / शर्तो अथवा सम्पादित अनुबन्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो कि रू0 2.00 लाख तक प्रत्येक अवसर पर हो सकता है ।

30– एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को होगा ।

31– अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

लन्दन फोर्ट, पिथौरागढ़ स्थित 07 नग दुकानों एवं केफेटेरिया को वार्षिक किराया आधार पर दिये जाने हेतु

आवेदन फार्म

1– निविदादाता /फर्म/कम्पनी का नाम .....

2– निवास/कार्यालय का पता .....

3– पत्राचार का पता. .....

4– निविदादाता का सम्पर्क नम्बर .....

निविदादाता को निम्नांकित अभिलेखों की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ आन–लाईन अपलोड करनी अनिवार्य होगी:–

1. पैनकार्ड की प्रति।
2. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति ।
3. धरोहर धनराशि की प्रति–विवरण .....
4. निविदा फार्म क्रय के प्रमाण की प्रति
5. चरित्र प्रमाण–पत्र /शपथ पत्र की प्रति
6. हैसियत प्रमाण पत्र/सी0ए0 द्वारा निर्गत बैलेन्स सीट/नेटवर्थ प्रमाण पत्र की प्रति
7. आवेदन फार्म की प्रति
8. ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र की प्रति

निविदादाता को उपरोक्त क्रम संख्या 03, 04, 05 एवं 08 पर वर्णित अभिलेख क्रमशः धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट/एफडीआर, निविदा फार्म क्रय का प्रमाण एव क्रम संख्या 05 में यदि शपथ पत्र लागू हो तो उस दशा में शपथ पत्र एव क्रम सं0 08 पर ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को ऑन लाईन स्कैन करने के साथ–साथ मूल में निगम मुख्यालय, ओक पार्क हाउस मल्लीताल, नैनीताल में ऑन लाईन निविदा प्रेषित किये जाने के अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निगम मुख्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम